



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



पंचदीप भवन, सी० आई० जी० मार्ग, नई दिल्ली
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-02
Website : www.esic.nic.in

कार्यालय ज्ञापन / Office Memorandum

विषय : 30 जून / 31 दिसम्बर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिव्रत होने वाले कर्मचारियों को उनके पेंशन संबंधी लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ क्रमशः 1 जुलाई / 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में।

Subject: Grant of notional increment on 1st July/ 1st January to the employees who retired from Central Government service on 30th June/ 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits.

कृपया उपरोक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024-कार्मिक नीति (वेतन) (पार्ट) दिनांक 20 मई 2025 को उत्तरोत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न पाएँ।

Please find attached herewith the Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Govt. of India, Office Memorandum no. 19/116/2024-Pers.Pol. (Pay)(Pt.) dated 20.05.2025 on the subject cited above for information and further necessary action.

This issues with the approval of Competent Authority.

सहायक निदेशक/ Assistant Director

प्रति / Copy to:

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु।
2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ हेतु।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा-1 व 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
8. निदेशक वित्त/ उप-निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा-3)/ उपनिदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा- 4)/ रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।